भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

888256

- 1 -

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि– रू0 19,19,700/–

बाजारू मूल्य – रू0 7,29,000/–

आदा किये गये जनरल स्टैम्प– रू0 1,34,400/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – हसनपुर खेवली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

888257

4. सम्पत्ति का विवरण –भूमि खसरा संख्या 523 रकबा 0.295 हे0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.021 हे0, खसरा संख्या 526 रकबा 0.202 हे0, खसरा संख्या 527 रकबा 0.126 हे0, खसरा संख्या 528 रकबा 0.126 हे0, खसरा संख्या 529 रकबा 0.076 हे0, खसरा संख्या 530 रकबा 0.301 हे0, खसरा संख्या 536 रकबा 0.142 हे0, खसरा संख्या 537 रकबा 0.114 हे0, खसरा संख्या 538 रकबा 0.784 हे0, कुल रकबा 2.187 हे0 का 1/9 भाग अर्थात 0.243 हे0 स्थित ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

888258

15 FEB 2011

5.	मापन की ईकाई	—	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	—	0.243 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	—	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8.	सम्पत्ति का प्रकार	—	कृषि
9.	पेड़ों की स्थिति	—	कुछ नहीं है।
10.	बोरिंग / कुआं अन्य	—	कुछ नहीं है।

[signature] [signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

888259

<u>चौहद्दी खसरा नं0 523</u>

उत्तर	: खसरा संख्या–524
दक्षिण	: खसरा संख्या–525
पूरब	: खसरा संख्या–525
पश्चिम	: नहर

<u>चौहद्दी खसरा नं0 524</u>

उत्तर	: ग्राम सीमा चक कजेहरा
दक्षिण	: खसरा संख्या–523
पूरब	: खसरा संख्या–525
पश्चिम	: नहर

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
15000 रु.
Rs. 15000
भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

103465
21 DEC 2010

<u>चौहद्दी खसरा नं0 526</u>

उत्तर	: खसरा संख्या–525
दक्षिण	: खसरा संख्या–516, 518
पूरब	: खसरा संख्या–527
पश्चिम	: खसरा संख्या–522, 525

<u>चौहद्दी खसरा नं0 527</u>

उत्तर	: खसरा संख्या–538
दक्षिण	: खसरा संख्या–515
पूरब	: खसरा संख्या–528
पश्चिम	: खसरा संख्या–525

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

103466

21 DEC 2010

<u>चौहद्दी खसरा नं0 528</u>

उत्तर	: खसरा संख्या–527
दक्षिण	: खसरा संख्या–515
पूरब	: खसरा संख्या–529
पश्चिम	: खसरा संख्या–527

<u>चौहद्दी खसरा नं0 529</u>

उत्तर	: खसरा संख्या–538
दक्षिण	: खसरा संख्या–531
पूरब	: खसरा संख्या–536, 537, 530
पश्चिम	: खसरा संख्या–527, 528

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 362264

चौहद्दी खसरा नं0 530

उत्तर : खसरा संख्या–536

दक्षिण : खसरा संख्या–531

पूरब : खसरा संख्या–533, 538

पश्चिम : खसरा संख्या–529

चौहद्दी खसरा नं0 536

उत्तर : खसरा संख्या–537

दक्षिण : खसरा संख्या–530

पूरब : खसरा संख्या–538

पश्चिम : खसरा संख्या–529

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 362265

चौहद्दी खसरा नं0 537

उत्तर : खसरा संख्या—538

दक्षिण : खसरा संख्या—536

पूरब : खसरा संख्या—538

पश्चिम : खसरा संख्या—529

चौहद्दी खसरा नं0 538

उत्तर : खसरा संख्या—539

दक्षिण : खसरा संख्या—533

पूरब : खसरा संख्या—540, 534

पश्चिम : खसरा संख्या—537, 536

हीरालाल

चन्द्रपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रू.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

F 362266

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विकेता का विवरण	:	केता का विवरण
छंगालाल पुत्र गेड़ईदास निवासी–शाहखेड़ा मजरा सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	:	चन्द्रपाल पुत्र मेवालाल निवासी–मकान नं0 282, मयाराम खेड़ा, मजरा कोटिया बिंदकी जिला फतेहपुर।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

छंगालाल चन्द्रपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 362267

विक्रय विलेख

यह विकय विलेख छंगालाल पुत्र गेड़ईदास निवासी–शाहखेड़ा मजरा सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विकेता कहा गया है एवम् चन्द्रपाल पुत्र मेवालाल निवासी– मकान नं0 282, मयाराम खेड़ा, मजरा कोटिया बिंदकी जिला फतेहपुर जिन्हें आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विकेता भूमि खसरा संख्या 523 रकबा 0.295 हे0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.021 हे0, खसरा संख्या 526 रकबा 0.202 हे0, खसरा संख्या 527 रकबा 0.126 हे0, खसरा संख्या 528 रकबा 0.126

छंगालाल

चन्द्रपाल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AR 165729

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हे0, खसरा संख्या 529 रकबा 0.076 हे0, खसरा संख्या 530 रकबा 0.301 हे0, खसरा संख्या 536 रकबा 0.142 हे0, खसरा संख्या 537 रकबा 0.114 हे0, खसरा संख्या 538 रकबा 0.784 हे0, कुल रकबा 2.187 हे0 का 1/9 भाग अर्थात 0.243 हे0 स्थित ग्राम-- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00054 के अनुसार भूमि विकेता के नाम संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय करने का

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 165730

पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एव वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, पट्टे, भूदान व ग्राम समाज की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 165731

10 FEB 2011

कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 19,19,700/-- (रू0 उन्नीस लाख उन्नीस हजार सात सौ मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेता की इस

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 165732

1 FEB 2011

विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है।

चन्द्रपाल

हरीशलाल

अब केता विकयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विकेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विकयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विकेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विकेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विकेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एंवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि केता विकयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विकय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विकेता भुगतान व वहन करेंगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी।

चन्द्रपाल

हरीलाल

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 30,00,000/-- प्रति हेक्टेआर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.243 हे0 की मालियत रू 7,29,000/-- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विकय मूल्य पर ही रू0 1,34,400/-- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विकीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विकीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विकेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस विकय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विकय पत्र विक्रेता ने केता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विकेता को रू0 19,19,700 द्वारा चेक संख्या-- 293728 दिनांकित 22.02.2011 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

हरीगोपाल चन्द्रभान

इस प्रकार विकेता को कुल विकय मूल्य रू0 19,19,700/— (रू0 उन्नीस लाख उन्नीस हजार सात सौ मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विकेता स्वीकार करता है तथा अब कोई धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊः
दिनांक : 22.02.2011

गवाह :

1. B.R. Sharma
S/o L. A. R. Sharma
18. M.M.M. Marg.
Lucknow

विक्रेता
छोटेलाल

2. रवि यादव अर्जुनगंज लखनऊ
S/o तुलसी राम

केता
चन्द्रपाल

टाईपकर्ताः—

(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ताः—

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ

ग्राम - इस्मानपुर खेवली
खसरा नं - 523 व अन्य
रकबा - 0.243 है0

परगना - बिजनौर
तहसील व जिला लखनऊ

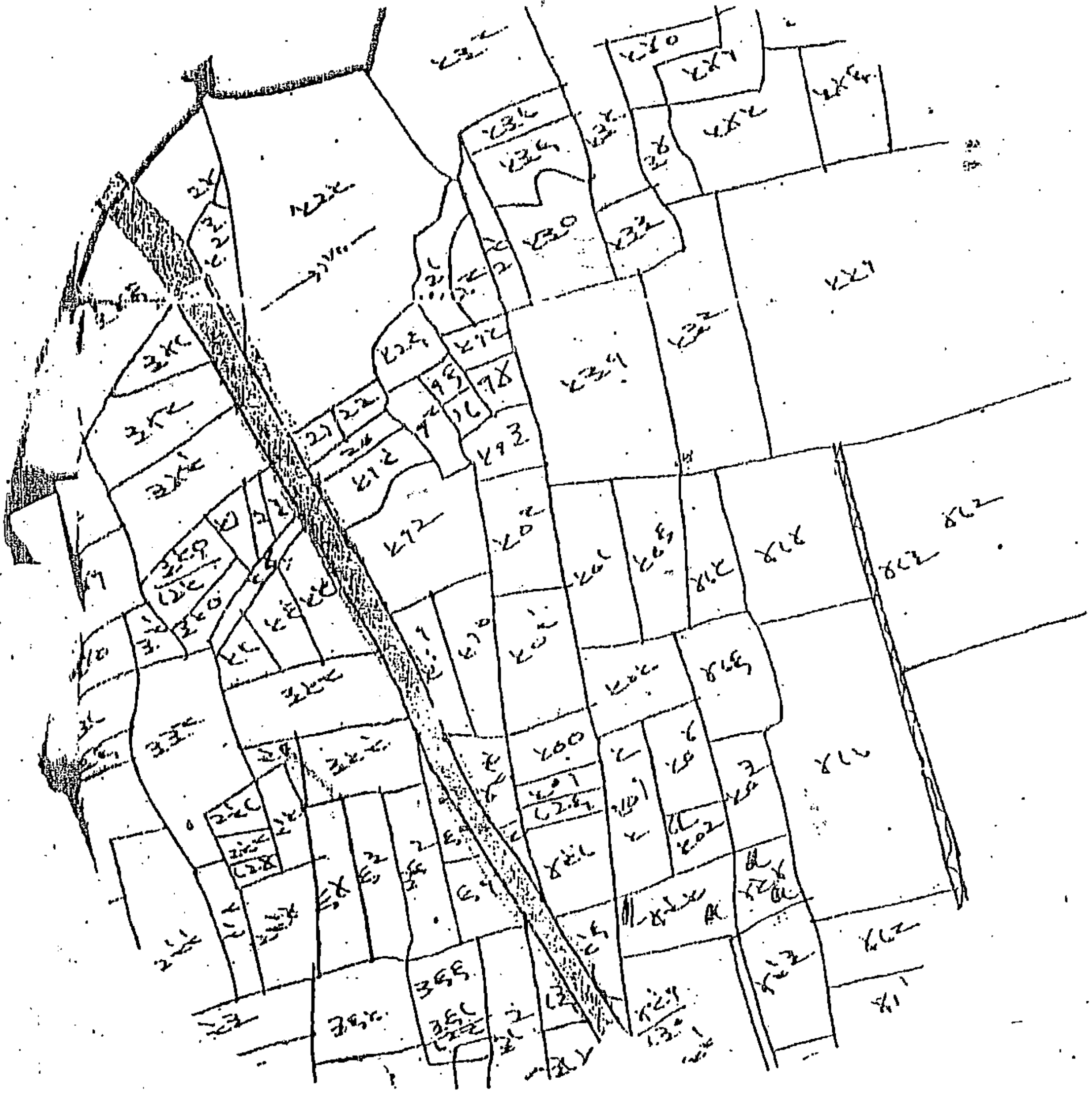

विक्रेता
छोटेलाल

क्रेता
चन्द्रपाल

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता, का नाम व पता:– छंगालाल पुत्र मेड़ईदारा निवासी–शाहखेड़ा मजरा सरसवां परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

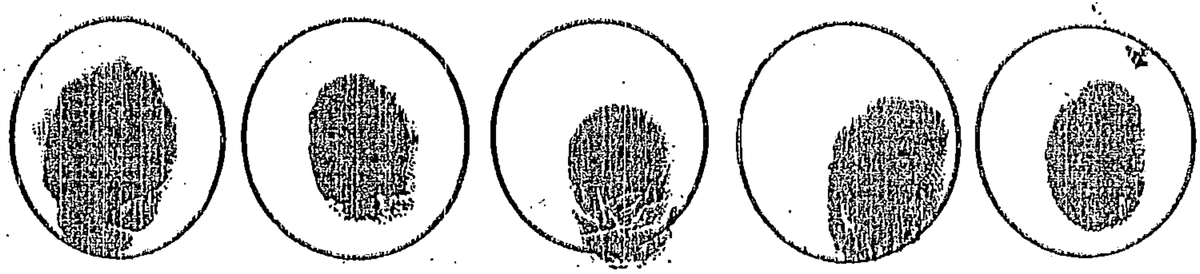

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

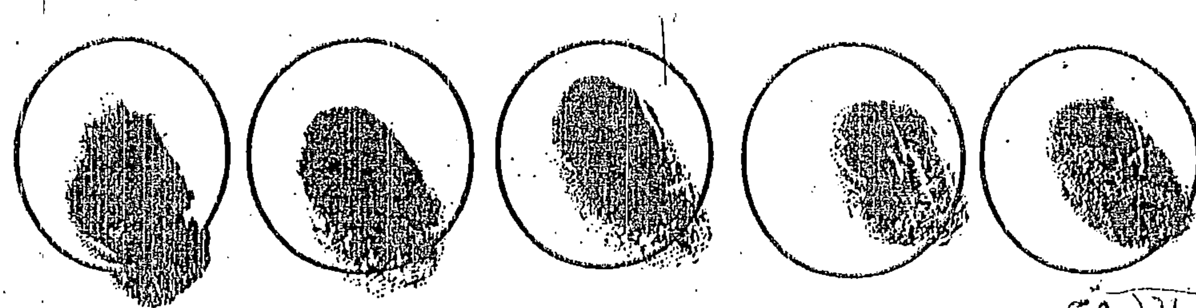

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता:– चन्द्रपाल पुत्र मेवालाल निवासी– मकान नं0 282, मयाराम खेड़ा, मजरा कोटिया बिंदकी जिला फतेहपुर।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

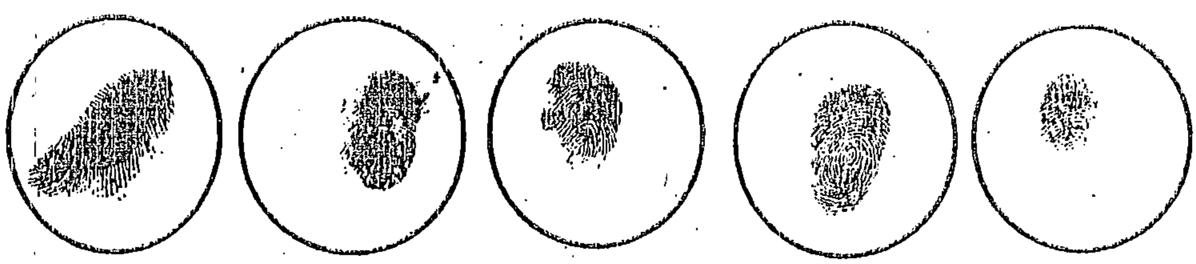

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

क्रेता के हस्ताक्षर

चन्द्रपाल

आज दिनांक 22/02/2011 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 12467

पृष्ठ सं. 51 से 88 पर कमांक 2669

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

22/2/2011

उप निबन्धक

सत्यमेव जयते